>

Title: Need to enhance the honorarium of cooks engaged in mid-day meal in schools.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): भारत सरकार की मध्यान्ह् भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोÂाण आहार दिया जाता है तथा यह योजना 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोÂिात है। महंगाई तथा अन्य कारणों से खाद्यान्न सामग्री की दरों पर तो समय-समय पर उक्त योजना की राशि में वृद्धि होती रहती है, परंतु रूचिकर पौÂिटक मध्यान्ह् भोजन बनाने वाले रसोइयों को मात्र 1000/- रूपये ही मानदेय दिया जाता है, जबकि उक्त योजना के क्रियान्वयन में रसोईयों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना में भी प्रतिदिन मजदूरी 122 रूपये है। जबकि मध्यान्ह भोजन के रसोईये को लगभग 33 रूपये प्रतिदिन ही दिया जाता है। यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है।

देश के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के यहां कुशल/अकुशल दैनिक वेतन भोगी तथा अन्य मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी की दर निर्धारित है, जोकि उक्त राज्य के श्रम विभाग के मापदंडों के अनुरूप होती है। लेकिन वर्तमान में मध्यान्ह् भोजन योजना के रसोईये हेतु जिला कलेक्टर के पास कोई गाईड लाईन नहीं है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाए कि मध्यान्ह् भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय का भुगतान कम से कम उस जिले में प्रचलित कलेक्टर दर के अनुरूप किया जाए।